भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1191
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता

1191. **श्री मोइनुल हसनः**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वायत्तता प्रदान किए गए विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने विश्वविद्यालयों ने स्वायत्तता के लिए आवेदन किया है;

(ग) क्या सरकार उनके कार्यकलापों पर निगाह रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जिनकी स्थापना संसद के अधिनियम अथवा राज्य विधायिका के संबंधित विधानों द्वारा की जाती है तथा ये अपने संबंधित अधिनियमों, संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। सरकार का विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, विश्वविद्यालयों की उनके अभिशासन, प्रशासन तथा अकादमिक कार्यकलापों के संबंध में पूर्ण होती है, परन्तु यह स्वायत्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय तथा अनुरक्षण करने हेतु जारी किए गए विनियमों के अध्यधीन है। ऐसा कोई कार्यक्रम या स्कीम नहीं है जिसके तहत विश्वविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान की जाती है।

****